(141)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी R-2847-III/14

श्रीमती मुन्नी पत्नि जगदीश प्रसाद किरार
निवासी ग्राम अगर्रा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी म0प्र0 ---आवेदिका

विरूद्व

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी

---- अनावेदक

(म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी -- कलेक्टर शिवपुरी व्दारा प्रकरण कमांक 22/13-14 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दि. 10-6-2014 के विरूद्व)

महोदय

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदिका व्दारा ग्राम पिपरघार स्थित भूमि सर्वे कमांक 996 रकबा 2.05 हैक्टर रिकार्डेड भूमिस्वामी से पंजीकृत विकय पत्र से वर्ष 1996 में कय की । कय उपरांत राजस्व अधिकारियों ने पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर वर्ष 1996 में आवेदिका का नामान्तरण कर दिया। इस प्रकार आवेदिका कय की भूमि पर विगत 18 वर्षो से निरन्तर खेती करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती आ रही है । आवेदिका ने भूमि को सिंचित बनाने के लिये टयूब वैल हेतु मध्य भारत ग्रामीण बैंक से ऋण लिया है।

यह कि पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर कय की गई एंव नामान्त्रित भूमि पर अपर कलेक्टर शिवपुरी ने आवेदिका के विरूद्व स्वमेव निगरानी प्रकरण दर्ज करके कारण बताओ नोटिस दिया, आवेदिका व्दारा कारण बताओ नोटिस का विधिवत उत्तर दिया एवं तर्क दिया कि पंजीकृत विकय पत्र को चुनौती देने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है इसके वाद भी अपर कलेक्टर ने स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी –2847–तीन / 2014 जिला–शिवपुरी

श्रीमती मुन्नी विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 22/2013–14/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–08–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 27/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	